रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1990/भाद्र 16, 1912
No. 382] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1990/BHADRA 16, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1990

सा. का. नि. 763(अ) :— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 112 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (अभिवहन की समाप्ति के पश्चात) उत्तरदायित्व की समाप्ति नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है।

(2) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

(3) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं।

8. अभिवहन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरदायित्व की समाप्ति :— रेल प्रशासन, अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के लिए अभिवहन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरदायी नहीं होगा।

[सं. 89/टी सी III/1/5/आर ए 89/खण्ड 99 (3)]

प्रमोद अनियाल, निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (सी एल)

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

1. दाब के अधीन संपीड़ित द्रवित या घुली हुई गैसें;
2. पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव,
3. ज्वलनशील ठोस पदार्थ,
4. आक्सीकारक पदार्थ,
5. अम्ल और अन्य संक्षारक,
6. विषैले (टॉक्सिक) पदार्थ,
7. सभी रेडियो एक्टिव सामग्री,
8. भारी पानी,
9. स्वापक औषधियां;
10. स्वर्ण,
11. चांदी,
12. मोती,

13. रत्न,

14. आभूषण

15. करेंसी नोट और सिक्के,

16. सरकारी स्टाम्प ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1990

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by clause(b) of sub-section (2) of section 112 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cessation of Responsibility (after the Termination of Transit) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "Act" means the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

(2) "Schedule" means schedule to these rules.

(3) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Cessation of responsibility after termination of transit.—A railway administration shall not be responsible after the termination of transit for the loss, destruction, damage, deterioration or non-delivery of the goods specified in the schedule.

[No. 89|TCIII|1|5|RA|89-Sec. 99(3)]
PRAMOD UNIYAL, Director,
Traffic Commercial (Claims).

SCHEDULE

(See Rule 3)

1. Inflammable solids,

2. Petroleum and other inflammable liquids;

3. Inflammable solids,
4. Oxidizing substances,
5. Acids and other corrosives,
6. Poisonous (Toxic) substances,
7. All Radiactive materials,
8. Heavy Water,
9. Drugs and Narcotics,
10. Gold,
11. Silver,
12. Pearls,
13. Precious Stone,
14. Jewellery,
15. Currency notes and coins,
16. Government stamps.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990